

विभागों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की से तक की तिमाही का विवरण

(*) कॉलम सं. 4 में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भरी जाएं जिन्होंने मेट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है।

(**) कॉलम सं. 5 में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भरी जाएं जिन्होंने मेट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण की है।

क्रमांक	विभाग का नाम	रबर मुहर		नम पट्ट		फार्म		तिमाही में हुई विभागीय कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि	हिन्दी कार्यशाला का विवरण		निमंत्रण पत्र		जाँच बिंदु स्थापित किया गया है या नहीं	पुस्तकों की खरीद				भर्ती परीक्षा			प्रकाशन	
		कुल	में हिंदी	कुल	में हिंदी	कुल	में हिंदी		तिथि	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	कुल जारी	द्विभाषी रूप में जारी		तिमाही में खरीदे गए अंग्रजी की पुस्तक, समाचार पत्र की खरीद पर हुई कुल खर्च राशि	तिमाही में हिन्दी पुस्तक, समाचार पत्र की खरीद पर हुई कुल खर्च	कुल आयोजित भर्ती परीक्षा	उनमें से कितने में हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प दिया गया	कुल	हिन्दी/द्विभाषी रूप में			
		24	25	26	27	28	29		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			

क्रमांक	विभाग का नाम	कम्प्युटर		प्रोत्साहन योजना			नियम 3(3) का अनुपालन	अर्जित अवकाश	सामान्य भविष्य निधि	बैठक की सूचना		पत्र शार्ष	आकस्मिक अवकाश	सेवा पंजी			समयोपरि भत्ता तथा मानदेय	स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ	स्मरण पत्र						
		कुल	कितनों में हिन्दी की सुविधा उपलब्ध है	कितने अधिकारी/कर्मचारी को स्वीकृत किया गया	प्रयोजन के लिए	कुल जारी (*)	द्विभाषी में जारी	जारी	में हिंदी	कुल जारी	में हिंदी	जारी	कुल	द्विभाषी में हिंदी है	कितनों पत्र शार्ष है	कुल	में हिंदी	कितनों में शार्षिक हिन्दी है	कितनों में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जारी हैं	कुल जारी	में हिंदी	जारी	कुल जारी	में हिंदी की प्रविष्टियाँ हैं	कितनों में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जारी हैं
		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

(*) कॉलम सं. 46 में राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) में निम्नलिखित कागजात शामिल हैं :— सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियाँ/टिप्पणियाँ, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के एक सदन में या दोनों में प्रस्तुत सरकारी कागज—पत्र, संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट (संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा)

